**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1153**
**दिनांक 27 जुलाई, 2023**

**पारंपरिक मछुआरों को मिट्टी के तेल पर राजसहायता**

**†1153.श्री राहुल रमेश शेवाले:**
**डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:**
**श्री चंद्र शेखर साहू:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के पारंपरिक मछुआरों को मिट्टी के तेल पर राजसहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में परम्परागत मछुआरों को राजसहायता प्राप्त दरों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने की संशोधित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिट्टी के तेल पर राजसहायता के लिए ऐसा प्रावधान वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही में किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो मिट्टी के तेल की वर्तमान दर पर प्रदान की जा रही वास्तविक राजसहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के परम्परागत मछुआरों को मिट्टी के तेल पर प्रदान की गई राजसहायता की धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) से (ड.) दिनांक 01 मार्च, 2020 से पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा ब्रिकी मूल्य को अखिल भारतीय आधार पर शून्य अल्प वसूली स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। सरकार खाना पकाने और रोशनी करने के प्रयोजन हेतु ही राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तिमाही आधार पर पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन करती है। सरकार ने दिनांक 21 अगस्त, 2012 के अपने आदेश द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्राकृतिक आपदाओं, धार्मिक उत्सवों, मछुआरों, विभिन्न यात्राओं आदि जैसी विशेष जरूरतों के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान गैर-राजसहायता प्राप्त दरों पर पीडीएस मिट्टी तेल का एक माह का आबंटन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। गैर-राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल का वार्षिक आबंटन पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में किया जाता है। राज्य/संघ शासित प्रदेश अपना उपलब्ध कोटा समाप्त होने के बाद अतिरिक्त आबंटन मांग सकते हैं।

****